आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी और तारीख
24.09.2021		

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया

सी0सी0ए0 वाद संख्या-56/2021

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य

बनाम

शेखर सम्राट उर्फ राजा पासवान, पिता-अर्जुन पासवान, सा0-बेलाचान्द, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया।

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** के **6082/सी0आर0, दिनांक 18.09.2021** के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी **शेखर सम्राट उर्फ राजा पासवान, पिता-अर्जुन पासवान, सा0-बेलाचान्द, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत कार्रवाई हेतु प्रारंभ की गई है।

उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **शेखर सम्राट उर्फ राजा पासवान, पिता-अर्जुन पासवान, सा0-बेलाचान्द, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया** एक कुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। वर्त्तमान में इनका क्रियाकलाप बहुत ही संदिग्ध है। जिसके फलस्वरूप आगामी **पंचायत चुनाव 2021** के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. **बनमनखी थाना काण्ड संख्या-291/2017 दिनांक-18.11.2017, धारा- 447 / 341 / 323 / 307 / 34 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट**
2. **बनमनखी थाना काण्ड संख्या-102/2020 दिनांक-30.04.2020, धारा- 392 भा0द0वि0**
3. **बनमनखी थाना सनहा संख्या-556/2021 दिनांक-21.08.2021**
4. **बनमनखी थाना सनहा संख्या-774/2021 दिनांक-30.08.2021**

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा इस अपराधकर्मी के गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम

1981 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा आज की सुनवाई में उपस्थिति दी गई, परन्तु कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया।

विपक्षी थाना बनमनखी से संबंधित हैं। उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत् दिनांक 20.09.2021 को संध्या में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। जिसके आलोक में दिनांक 21.09.2021 को अभिलेख संधारित कर कार्रवाई प्रारम्भ की गई। उल्लेखनीय है कि बनमनखी थाना अंतर्गत पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत् दिनांक 29.09.2021 को मतदान की तिथि तथा दिनांक 01.10.2021 एवं 02.10.2021 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। इस प्रकार इतने कम समय में संबंधित विपक्षी के विरूद्ध इस अधिनियम की धारा-3 के तहत् पर्याप्त कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है।

चूँकि **थानाध्यक्ष, बनमनखी / अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी, पूर्णिया एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि **पंचायत निर्वाचन 2021** के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः **थानाध्यक्ष, बनमनखी** को निदेश दिया जाता है कि **शेखर सम्राट उर्फ राजा पासवान, पिता-अर्जुन पासवान, सा0-बेलाचान्द, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया** पर **पंचायत निर्वाचन 2021** के दौरान निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी** तथा **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति **जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया** को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु **जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2386 / विधि, दिनांक 29/09/2021

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, बनमनखी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/21

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियाँ
29.9.21